

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462003)

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 27/01/2014

क्रमांक 12 /स्था.सेवा/2014 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.05.2013 एवं 20.06.2013 में की गयी अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित पंजीयन लिपिकों को राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत वेतनमान रूपये 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 28(10) पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप पंजीयन के पद पर पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के समक्ष कालम नंबर-4 में दर्शाये गये स्थान पर उप पंजीयक कार्यालय में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है ।

क्र	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी (पंजीयन लिपिक)	उप पंजीयक कार्यालय गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	उप पंजीयक कार्यालय बटियागढ़, जिला दमोह
2	श्री शिशिर डोडियार (पंजीयन लिपिक)	उप पंजीयक कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन	उप पंजीयक कार्यालय बड़ौदा, जिला आगर-मालवा
3	श्री नितिन सावनेर (पंजीयन लिपिक)	उप पंजीयक कार्यालय भोपाल	उप पंजीयक कार्यालय ब्यावरा, जिला राजगढ़

उल्लेखनीय है कि बंद लिफाफों के प्रकरणों से सम्बन्धित जिन शासकीय सेवकों से कनिष्ठ शासकीय सेवकों को रिक्तियों की पूर्ति हेतु स्थानापन्न पदोन्नति दी जा रही है उनके पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित कनिष्ठतम लोक सेवकों को पदावनत किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण संबंधी शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है ।


 (दीपाली रस्तोगी)
 महानिरीक्षक पंजीयन
 मध्यप्रदेश


क्रमशः : 2

// 2 //

पृ.क्र ५१ /स्था.सेवा/2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 27/01/2014

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल को ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
5. क्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय भोपाल/इंदौर/जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को तत्काल कार्यमुक्त करें। जिले में पदस्थ उप पंजीयकों के कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण की सूचना एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजें ।
7. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
8. गोपनीय शाखा मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
9. संबंधित श्रीरिकार्ड कीपर / पंजीयन लिपि त उप पंजीयक कार्यालय जिला म.प्र. की ओर पालनार्थ भेजकर लेख है कि पदोन्नत स्थान पर सात दिवस में कार्यभार ग्रहण करें ।


महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश